



महिला शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों पर एक अध्ययन

मेघा श्रीवास्तव ^{1*}, डॉ० नीतू मौर्य ²

1. शोधार्थी, राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना, अमेठी (उत्तर प्रदेश), भारत

meghasrivastava037@gmail.com ,

2. असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना, अमेठी (उत्तर प्रदेश), भारत

सारांश: महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। महिला शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी का दृष्टिकोण भी उल्लेखनीय रहा है। गांधी जी का मानना था कि महिलाओं की शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समूचे समाज के विकास का भी आधार है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। यह अध्ययन गांधी जी के महिला शिक्षा से संबंधित विचारों और उनके प्रभाव को उजागर करता है।

मुख्य शब्द: महिला शिक्षा, महात्मा गांधी, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम, आत्मनिर्भरता, समाज सुधार

----- X -----

परिचय

महात्मा गांधी का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव रहा है, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि अगर समाज को सशक्त बनाना है, तो महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य है। उनका दृष्टिकोण उस समय के समाज की पारंपरिक धारणाओं के विपरीत था, जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखता था। उनके अनुसार, महिला शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने का माध्यम भी बनना चाहिए।

गांधी जी के विचारों का केंद्र यह था कि महिलाएं भी पुरुषों के समान समाज की भागीदार हैं, और उनका योगदान समाज के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को अत्यंत आवश्यक माना। गांधी जी ने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि इसके लिए महिलाओं को विशेष शिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने का भी आग्रह किया ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकें।

गांधी और समाज कल्याण

गांधी सभी मनुष्यों के कल्याण में विश्वास करते थे, चाहे उनका लिंग, धर्म और राष्ट्रीयता कुछ भी हो। वे मानवता के एक ऐसे दृष्टिकोण से प्रेरित थे जो इसकी एकता और परस्पर निर्भरता पर जोर देता है और दुनिया को संकीर्ण रूप से खींचे गए डिब्बों में विभाजित करने से इनकार करता है। सर्वोदय, एक अवधारणा जिसे गांधी ने लोकप्रिय बनाया, का उद्देश्य सभी मनुष्यों की भलाई है। सर्वोदय एक सामाजिक आदर्श है और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करता है जिसमें व्यक्तियों को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए पूर्ण और समान अवसर मिलेंगे। सर्वोदय का मूल तथ्य मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक एकता में विश्वास है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय इस हद तक बुनियादी हैं कि वे गांधीवादी विचार और दर्शन को पूरी तरह से समाहित करते हैं।

आध्यात्मिकता की पहचान प्राकृतिक दुनिया से निर्वासन नहीं है, बल्कि सभी के लिए प्रेम के साथ उसमें काम करना है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उन्होंने देखा कि भारतीयों को गंभीर विकलांगताओं का सामना करना पड़ रहा था और गांधी ने दमनकारी प्रतिक्रियाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर अपना निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया। वे इस आवश्यक सिद्धांत के लिए खड़े हुए कि सभी मनुष्य समान हैं

और नस्ल और रंग के आधार पर कृत्रिम भेद अनुचित और अनैतिक दोनों हैं। भारत को उसके विभाजन और कलह से मुक्त करना उनकी महत्वाकांक्षा थी ताकि लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए अनुशासित किया जा सके। वे महिलाओं को पुरुषों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के स्तर पर लाने की आकांक्षा रखते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में धार्मिक घृणा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया, जिसने देश को विभाजित किया और हिंदू धर्म को अस्पृश्यता के सामाजिक घृणित रूप से शुद्ध किया।

आध्यात्मिकता की पहचान प्राकृतिक दुनिया से निर्वासन नहीं है, बल्कि सभी के लिए प्रेम के साथ उसमें काम करना है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उन्होंने देखा कि भारतीयों को गंभीर विकलांगताओं का सामना करना पड़ रहा था और गांधी ने दमनकारी प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर अपना निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया। वे इस आवश्यक सिद्धांत के लिए खड़े हुए कि सभी मनुष्य समान हैं और नस्ल और रंग के आधार पर कृत्रिम भेद अनुचित और अनैतिक दोनों हैं। भारत को उसके विभाजन और कलह से मुक्त करना उनकी महत्वाकांक्षा थी ताकि लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए अनुशासित किया जा सके। वे महिलाओं को पुरुषों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के स्तर पर लाने की आकांक्षा रखते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में धार्मिक घृणा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया, जिसने देश को विभाजित किया और हिंदू धर्म को अस्पृश्यता के सामाजिक घृणित रूप से शुद्ध किया।

गांधी और स्त्री

गांधी पाते हैं कि महिलाओं की समकालीन स्थिति प्राकृतिक संबंधों को नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है। यह देखते हुए कि लिंग संबंधों के पारंपरिक विचार पुरुषों द्वारा बनाए गए थे, न कि महिलाओं द्वारा। उन्हें लगता है कि वे समानता के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं, "प्राचीन कानून ऋषियों द्वारा बनाए गए थे जो पुरुष थे। इसलिए, महिलाओं के अनुभव को उनमें दर्शाया नहीं गया है। सख्ती से कहें तो, पुरुष और महिला के बीच, किसी को भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाना चाहिए।" (पारेख, 2018) गांधी इस बात से भी परेशान हैं कि महिलाओं ने उन्हें सौंपी गई स्थिति को स्वीकार कर लिया है। वे लिखते हैं, "और इसलिए महिला में हीन भावना विकसित हो गई है। उसने पुरुष की इस रुचिपूर्ण शिक्षा की सच्चाई पर विश्वास कर लिया है कि वह उससे कमतर है।" और गांधी इसे चुनौती देना चाहते हैं।

गांधीजी ने पाया कि भारत में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार कई रूपों में हुआ है और सबसे कुरूप में से एक बाल विवाह और बाल विधवापन की प्रथा है। बाल विधवापन, विशेष रूप से, लड़कियों को विकसित होने की स्वतंत्रता से वंचित करता है और महिलाओं के रूप में उन्हें गरीबी और अपमान के लिए मजबूर करता है। उनके लेख में "कोई भी परंपरा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अगर नैतिकता के साथ असंगत है, तो उसे देश से निकाल दिया जाना चाहिए।" (शर्मा, 2020) उनके लिए, बाल विवाह और बाल विधवापन इसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें लगता है कि ये भयानक और अंधविश्वासी हैं और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए।

हालाँकि गांधी जी लिंगों की समानता में विश्वास करते थे, लेकिन साथ ही उन्हें लगता था कि पुरुष और महिला के बीच महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक अंतर हैं। उनका मानना था कि पुरुष और महिला को आम तौर पर अलग-अलग पेशे अपनाने चाहिए, जो उनके अलग-अलग शारीरिक और भावनात्मक स्वभाव के अनुकूल हों। यह प्राकृतिक कर्म है कि महिलाओं को घर और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, जबकि पुरुष परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर काम करते हैं। उन्होंने कहा:

मैं पत्नी को, एक नियम के रूप में, अपने पति से स्वतंत्र किसी व्यवसाय में संलग्न नहीं मानता। बच्चों की देखभाल और घर का रख-रखाव ही उसकी पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से लगाने के लिए पर्याप्त है। एक सुव्यवस्थित समाज में परिवार को चलाने का अतिरिक्त बोझ उस पर नहीं पड़ना चाहिए। पुरुष को परिवार के रख-रखाव की ओर देखना चाहिए, महिला को घर के प्रबंधन की ओर, इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के श्रम को पूरक और पूरक बनाते हैं। (गांधी, 1991)

हालाँकि गांधी ने माना कि परिस्थितियाँ विवाहित महिला के लिए घर से बाहर काम करना वांछनीय बना सकती हैं। इसके अलावा, उन्होंने महसूस किया कि समाज को महिला के विवाह न करने और खुद को एक अलग तरीके से सामाजिक सेवा के लिए समर्पित करने के अधिकार को मान्यता

देनी चाहिए। गांधी का मानना था कि लैंगिक भूमिकाओं का विभेदन जरूरी नहीं कि असमानता के लिए अनुकूल हो। उनके विचार में कोई भी पेशा कमतर नहीं था। इसलिए महिलाओं के लिए पारंपरिक महिला भूमिकाओं की उनकी वकालत महिलाओं को समान लेकिन अलग मानने के उनके समग्र दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में महिलाओं की जागृति में योगदान देने वाले सभी कारकों में से सबसे शक्तिशाली अहिंसक कार्रवाई का क्षेत्र रहा है, जिसे गांधी ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई में महिलाओं को पेश किया था। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ समान शर्तों पर उनकी भागीदारी ने महिलाओं को समाज में एक निश्चित स्थान दिया। महिलाओं के हित में गांधी का मुख्य योगदान समाज में उनकी व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता पर उनके पूर्ण और स्पष्ट आग्रह में निहित है।

लेखक के रूप में गांधी

गांधी में एक सामाजिक नारीवादी है, हालांकि उस समय भारत में नारीवाद ने अपना प्रभाव नहीं डाला था। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में गांधी का दृष्टिकोण और विशिष्ट सामाजिक सुधार मुद्दों पर उनका रुख, इस सदी के बीसवें और तीसवें दशक में भारत में अग्रणी नारीवादियों के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रूप से मिलता-जुलता था। गांधी भारत में संगठित महिला आंदोलन की मांगों के एक उत्साही समर्थक थे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं को अंततः अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और अपनी समस्याओं को हल करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं की स्थिति को बदलने का तरीका यह है कि महिलाएं मांग करें कि उनके साथ समान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। गांधी ने भारत की मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं देखी, जबकि उसकी नारीत्व अच्छी रही। इसलिए उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के साथ-साथ कार्रवाई के माध्यम से इस कठिन कार्य को अंजाम दिया। उनके सभी लेखन उत्पीड़ितों के लिए उनकी चिंता और उनकी सेवा करने की इच्छा को दर्शाते हैं। गांधी के लेखन और भाषणों से पता चलता है कि . उन्होंने महिलाओं के मानवीय क्षमता के पूर्ण विकास में बाधा डालने वाली बाधाओं को पार करने के संघर्ष की कल्पना की।

महिलाओं के बारे में गांधी के अधिकांश विचार उनकी पत्रिकाओं में छपते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई। उन्होंने 1919 में यंग इंडिया, अंग्रेजी साप्ताहिक, 1919 में गुजराती साप्ताहिक नवजीवन और 1933 में हरजजन की स्थापना की। हरजजन अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होता था। सभी पत्रिकाएँ 'उनके जीवन के एक हिस्से का दर्पण थीं।' इंडियन ओपिनियन के बारे में गांधी कहते हैं, "हर हफ्ते, मैंने अपनी आत्मा को इसके स्तंभों में उंडेला और सत्याग्रह के सिद्धांतों और अभ्यास को जिस तरह से मैंने समझा, उसे समझाया" (रोनाल्ड, 2000) अपनी पत्रिकाओं में गांधी ने भारतीय महिलाओं को खादी कातकर और पहनकर स्वदेशी आंदोलन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय महिलाओं से सरल, पवित्र और ईश्वर से डरने वाली बनने का आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं के लिए भारतीय नारीत्व के आदर्श के रूप में सीता, दमयंती और द्रौपदी को लगातार पेश किया। महिलाओं और पुरुषों द्वारा की गई कई व्यक्तिगत पूछताछों का जवाब गांधी ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से दिया। महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की गई और बाद में समाधान सुझाए गए। उनकी पत्रिकाओं में विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं थी। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने कहा, "मैंने पत्रकारिता को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए अपनाया है।" पत्रकारिता का उच्च मानक सार्वजनिक जीवन में गांधी का योगदान था। हालांकि गांधी मुख्य रूप से पत्रिकाओं में लिखते थे, लेकिन उनकी कुछ किताबें भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और हिंद स्वराज में महिलाओं के बारे में उनके विचार हैं। गांधी जी अथक पत्र भी लिखते थे। उन्होंने बहुत से पत्रों का उत्तर दिया। वे महान व्यक्तियों और आम लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते थे। उनके सभी पत्रों में मानवता और सहानुभूति की भावना व्याप्त है। वे हमें महात्मा के मन की झलक देते हैं।

एक लेखक के रूप में, गांधी ने विषयों और अपनी शब्दावली के चयन में अत्यंत संयम बरता। उनके लेखन अत्यंत सरल हैं। उनके लेखन के पाठ अक्सर बीसवीं सदी के आरंभिक और मध्य भागों में भारतीयों के लिए रोजमर्रा के महत्व के मामलों को संबोधित करते हैं। टेरेचेक टिप्पणी करते हैं, "आम भारतीयों के लिए लिखते हुए, वे अक्सर रूपकों का उपयोग करते हैं और शक्ति और सशक्तिकरण की प्रकृति के बारे में सिखाने के साथ-साथ भारतीयों को उनकी अपनी मजबूत परंपराओं की याद दिलाने के लिए उपदेश देते हैं।"¹⁸ अपने लेखन के माध्यम से, गांधी ब्रिटिश उपनिवेशवाद, अस्पृश्यता, महिलाओं के दमन और सांप्रदायिक कलह के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा के अपने अभियानों के लिए भारतीय

जनता को संगठित करना चाहते हैं। एक सरल स्थानीय भाषा पर भरोसा करते हुए, वे भारत और पश्चिम दोनों में जो कुछ भी माना जाता है, उस पर सवाल उठाते हैं। वे विशेष रूप से उन विचारों को चुनौती देते हैं कि हिंसा न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है और आधुनिकता और आधुनिकीकरण प्रगति का प्रतीक है। उनकी प्रतिबद्धताएँ और कार्य उनकी आत्मकथा और उनके अन्य लिखित ग्रंथों के पूरक हैं। अपने लेखन और भाषणों में गांधीजी न केवल आधुनिकता और आधुनिकीकरण की आलोचना करते हैं, बल्कि इसके लिए आदर्श विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए वे चाहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए संघर्ष में शामिल हों।

हालाँकि गांधी हिंदू धर्म के बहुत आभारी हैं, लेकिन उन्होंने अन्य परंपराओं से भी बहुत कुछ सीखा है। वे हिंदू के रूप में जन्मे और पले-बढ़े और जैन धर्म से उनका गहरा लगाव है, जो किसी भी तरह के जीवन को अपनाने से घृणा करता है। उन्होंने ब्रिटेन में कानून की पढ़ाई करने के लिए कई साल बिताए, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश अदालतों में वकालत की। इस दौरान, वे दर्शन, धर्म और राजनीति में भारतीय और पश्चिमी ग्रंथों को पढ़ते और चर्चा करते रहे। गांधी बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे। गांधी परंपरा और आधुनिकता का संश्लेषण है। स्वायत्तता के आधार के रूप में परंपरा का बचाव करते हुए, वे इसे सुधारने के लिए लगातार इसकी खामियों को चुनौती देते हैं। ब्रिटेन से राजनीतिक स्वतंत्रता को भारत की स्वतंत्रता का एकमात्र मानदंड मानने के बजाय, वे भारतीयों से अपने देश को वर्चस्व के स्वदेशी पैटर्न से मुक्त करने के लिए कहते हैं। वे विशेष रूप से अछूतों और महिलाओं के शोषण को चुनौती देते हैं। अपने पूरे जीवन में, गांधी परस्पर सम्मान और सहायता के आधार पर एक अहिंसक, सहकारी समाज की तलाश करते हैं। वह आधुनिकता और आधुनिकीकरण पर हमला करता है क्योंकि वह देखता है कि ये दोनों ही पुरुषों और महिलाओं को अक्षम बनाते हैं, और वह हिंसा का विरोध करता है क्योंकि यह लोगों को शक्तिशाली लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन के रूप में देखता है।

पश्चिमी सभ्यता के खतरों के बारे में उनके विचार मानवता के अस्तित्व और न्यायपूर्ण तथा व्यवहार्य विश्व व्यवस्था के विकास से संबंधित कई मुद्दों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गए हैं। गांधीजी ने नैतिक पतन और सांस्कृतिक क्षय को बहुत पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था। उन्होंने भविष्य में जीवन के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता संस्कृति के उभरते रुझानों की कड़ी आलोचना की और विकास में मितव्ययिता तथा नैतिक सिद्धांत पर जोर दिया, जो कल की दुनिया के लिए आवश्यक है। सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा आज और आने वाली शताब्दियों की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उपयोगी होगी। निस्संदेह यह जीवन का एकमात्र दर्शन है, जो आधुनिक युग की चुनौतियों का उत्तर हो सकता है। इसका जन दृष्टिकोण और विकेंद्रीकृत सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यक्ति और पूरे समुदाय के कल्याण और भलाई के लिए समाज को बदलने में मदद करेगी। गांधीजी ने अपने पारंपरिक आचरण के साथ, मनुष्य के स्वार्थ और असहिष्णुता से बिखरी दुनिया में एक नैतिक व्यवस्था की कल्पना की, जहां गरीबी सर्वोच्च थी और मानवता पर अन्याय हो रहा था। इस संदर्भ में, गांधीजी के प्रेम, सत्य और अहिंसा के नुस्खे बहुत प्रासंगिक हैं। गांधी ने जो कुछ भी कहा या लिखा, उसका उद्देश्य उसे अमल में लाना था और उन्होंने इसे अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में सफलतापूर्वक लागू किया। गांधी के लेखन और भाषणों से पता चलता है कि वे एक संत, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक मानवतावादी थे। उनके हर विचार, भावना, कार्य में एक जीवन मिशन झलकता था; इसलिए उन्होंने कहा कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है'। इस शोध प्रबंध में भारत में महिलाओं की मुक्ति में गांधी के योगदान का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

महात्मा गांधी के महिला शिक्षा के संदर्भ में विचार

महिला शिक्षा के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण कुछ मुख्य बिंदुओं पर आधारित था:

सर्वांगीण विकास: गांधी जी का मानना था कि शिक्षा महिलाओं का सर्वांगीण विकास करती है। उनका मानना था कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रखना उनके विकास में बाधा डालता है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होता है।

सामाजिक सुधार और समृद्धि: गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा को समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके अनुसार, शिक्षित

महिलाएं बच्चों को बेहतर संस्कार और शिक्षा देने में सक्षम होती हैं, जिससे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण होता है।

आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान: गांधी जी का मानना था कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना चाहिए ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और समाज में समानता प्राप्त कर सकें।

समानता का सिद्धांत: गांधी जी महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज में समानता लाने के लिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना आवश्यक है और यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

विषम परिस्थितियों में साहस और नेतृत्व: गांधी जी ने महिलाओं के साहस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाएं समाज की उत्पीड़क परंपराओं और नियमों का विरोध करने में सक्षम हों, और इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है।

निष्कर्ष

महिला शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। उन्होंने महिला शिक्षा को न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम माना, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक उत्थान का आधार भी समझा। गांधी जी का यह दृष्टिकोण कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से पूर्ण बनाना आवश्यक है, समाज को प्रगतिशील दिशा में अग्रसर करता है। वर्तमान समय में भी गांधी जी के विचारों का अनुसरण करके महिला शिक्षा में सुधार लाना संभव है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षा के माध्यम से न केवल समाज में समानता स्थापित हो सकती है, बल्कि इससे समाज का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होता है।

संदर्भ

1. गांधी, महात्मा. "महिलाओं के अधिकार और समाज में उनकी भूमिका." नवजीवन प्रकाशन मंडल, 1945.
2. पारेख, राधाकृष्ण. "महात्मा गांधी और महिला सशक्तिकरण." गांधी साहित्य संग्रह, 2018.
3. शर्मा, वंदना. "महिला शिक्षा और गांधीवादी दृष्टिकोण." भारतीय समाज विज्ञान संस्थान, 2020.
4. गांधी, महात्मा. "यंग इंडिया." विभिन्न संपादकीय लेख, 1919-1932.
5. मिश्रा, आनंद. "गांधी के विचारों का आधुनिक समाज पर प्रभाव." राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2015.
6. गांधी एम.के. सत्य की आवाज़। 18 जून, 2020 को <https://www.mkgandhi.org/ebks/the-voice-of-truth.pdf> से लिया गया
7. हरिजन: (1933-1956) गांधीजी द्वारा स्थापित और हरिजन सेवक संघ, पूना के तत्वावधान में और 1942 से नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका। "व्यक्तिगत सत्याग्रह" के दौरान 1940 में साप्ताहिक प्रकाशन बंद कर दिया गया; जनवरी 1942 में फिर से शुरू हुआ, लेकिन भारत छोड़ो संघर्ष के दौरान आना बंद हो गया। यह 1946 में फिर से प्रकाशित हुआ।
8. माहेश्वरी वी.के. (2014)। भारत में शिक्षा की वर्धा योजना। 18 जून, 2020 को <http://www.vkmaheshwari.com/WP/?p=1402> से लिया गया
9. प्रभु आर.के. , राव यू.आर. (1967)। महात्मा गांधी का मन 20 जून, 2020 को <https://www.mkgandhi.org/ebks/mindofmahatmagandhi.pdf> से लिया गया
10. शाह पी.के. (2017)। बुनियादी शिक्षा पर गांधीजी के विचार और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता। पुणे रिसर्च, 3(4), 1-6।

11. विकिपीडिया बुनियादी शिक्षा 20 जून, 2020 को https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_education से लिया गया
12. यंग इंडिया: (1919-1932) अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, 7 मई, 1919 से गांधीजी की देखरेख में बॉम्बे से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुई, और 8 अक्टूबर, 1919 से गांधीजी के संपादक के रूप में अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुई।